

1828 - यदि मस्जिद के आस पास मुसलमान न रह गए हों तो क्या उस को बेचना जायज है ?

प्रश्न

उस मस्जिद को बचने का क्या हुक्म है जिसके क्षेत्र से मुसलमान स्थानांतरित हो गए हों और उसके नष्ट होने या उस पर अधिग्रहण हो जाने का डर हो ? क्योंकि अधिकांश ऐसा होता है कि मुसलमान कोई घर खरीदते हैं और उसे मस्जिद में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर जब अक्सर मुसलमान काम की परिस्थितियों के अंतर्गत उस क्षेत्र से स्थानांतरित हो जाते हैं तो मस्जिद छोड़ दी जाती है या वीरान हो जाती है, और कभी कभी दूसरे लोग उस पर कब्जा जमा लेते हैं। जबकि यह बात संभव है कि उसे बेच दिया जाए और उसके बदले में दूसरी मस्जिद उस स्थान पर स्थापित कर दी जाए जहाँ मुसलमान रहते हैं। तो इस बिक्री या बदलाव का क्या हुक्म है ? और यदि उसके बदले दूसरी मस्जिद बनाने का अवसर न मिले तो मस्जिद की क्रीमत को खर्च करने का निकटतम रूप क्या है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

उस मस्जिद को बेचना जायज है जिस से लाभ उठाना बंद हो गया हो, या मुसलमानों ने उस स्थान को छोड़ दिया हो जिसमें वह स्थित है, या उस पर काफिरों के कब्जा कर लेने का डर हो। लेकिन इस शर्त के साथ कि उसकी क्रीमत से दूसरी जगह खरीद कर मस्जिद का निर्माण किया जाए। और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।